UPAL010103052024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या –2, अलीगढ़।

उपस्थितः–तोष कुमार शर्मा, एच0जे0एस0

J.O.CODE - U P 6557

दाण्डिक निगरानी संख्या– 330/2024

1. नवीन सिंह पुत्र कर्मवीर सिंह निवासी–सोहावीर मार्केट गली नं0–1 बरात घर के पास मस्जिद गेझा गांव सेक्टर 93 फेस–2 निकट सेक्टर 82 नोएडा

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, अलीगढ़

2. अरविन्द डेयरी प्रा0 लि0 अतरौली रोड कस्वा छर्रा थाना छर्रा जनपद अलीगढ द्वारा वरिष्ठ लेखापाल मनीष कुमार पुत्र राजबहादुर निवासी–उपरोक्त।

.... प्रतिवादीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–330/2024 नवीन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01, अलीगढ़ द्वारा वाद संख्या–328/2019 अरविन्द बनाम नवीन सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.08.2024 के विरूद्व क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01, अलीगढ़ के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र दिनांकित 13.02.2020 निरस्त कर परिवादी द्वारा दाखिल आपत्ति निस्तारित कर पत्रावली वास्ते बयान मुल्जिम हेतु नियत की गयी थी।

2. मैंन निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

3. उभयपक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। चूंकि मामला धारा–138 एन0आई0एक्ट0 से सम्बन्धित था, इसलिये दाण्डिक निगरानी पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली को जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ को उभयपक्ष की वार्ता हेतु संदर्भित किया गया था।

4. जिला मध्यस्थता एवं सुलह केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ की आख्या के अनुसार पक्षकारों ने विवाद आपसी समझोते से निपटा लिया है। समझौता पत्र मूल रूप से दाखिल है। वार्ता सफल, मध्यस्थता पूर्ण।

अतः उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01, अलीगढ़ द्वारा मुकदमा परिवाद संख्या–328/2019 अरविन्द बनाम नवीन सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.08.2024 में कोई सारवान विधिक त्रृटि या अनियमितता कारित नहीं की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है जिसमें आपराधिक निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस आपराधिक निगरानी में कोई बल नहीं है, तदनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी निगरानी संख्या 330/2024 नवीन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.08.2024 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख सहित विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , कोर्ट संख्या–01, अलीगढ़ को प्रेषित की जाए। पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2026 को उपस्थित हों। विचारण न्यायालय उभयपक्षों के मध्य हुये समझौते के आधार पर अग्रिम आदेश नियमानुसार पारित करें।

दिनांक 02.07.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या 02,अलीगढ़।
आई0डी0 नं0 6557

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनाकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 02.07.2026

(तोष कुमार शर्मा)
अपर जिला जज,
कोर्ट संख्या 02,अलीगढ़।
आई0डी0 नं0 6557